न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./114/2024/बाड़मेर

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेंट्स
बगदाराम पुत्र वोताराम, जाति कलबी, निवासी ग्राम छियाली, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।	1. सावंलराम पुत्र देवाराम 2. हड़मानाराम पुत्र देवाराम 3. कानाराम पुत्र देवाराम, जाति कलबी, निवासी ग्राम छियाली, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।................ आवेदक। 4. अणसीदेवी पुत्री वोताराम पत्नी छोगाराम, जाति कलबी, निवासी छियाली हाला निवासी भोरड़ा, तहसील आहोर, जिला जालोर। 5. गवरी देवी पत्नी वोताराम 6. चम्पाराम पुत्र वोताराम 7. रतनाराम पुत्र वोताराम 8. हेमाराम पुत्र वोताराम, सभी जाति कलबी, निवासी छियाली, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा। 9. चुनीदेवी पुत्री वोताराम पत्नी सुजाराम, जाति कलबी पाविया, निवासी छियाली हाल राखी तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा। 10. एस.बी.आई. शाखा खण्डप, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा। 11. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, समदड़ी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

83/2023 बउनवान सांवलराम बनाम अणशीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.11.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थितः–

1. वकील श्री लाधूराम पूनियां अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कपील श्रीमाली रेस्पो. संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

–:<u>निर्णयः</u>–

दिनांकः–28.10.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 01 से 03 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि ग्राम छियाली के खसरा संख्या 128 रकवा 1.5808 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण 01 से 07/रेस्पोंडेन्ट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 254/129 रकबा क्रमशः 3.7180 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थी/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/रेस्पों. संख्या 01 से 03 द्वारा अपने खातेदारी आराजी जो कि ग्राम छियाली के खसरा संख्या 128 रकबा 1.5808 हेक्टेयर भूमि में आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251– ए के अन्तर्गत एक आवेदन पेश किया। उक्त आवेदन में हमारे पड़ोस में विप्रार्थीगण 01 से 07/रेस्पोंडेन्ट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 254/129 रकबा क्रमशः 3.7180 हेक्टेयर की भूमि जो प्रार्थी/रेस्पों. के खेत एवं सड़क के मध्य में पड़ता है, जिस हेतु रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया, जिस पर अपीलांट/विप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के खेत के लिए विप्रार्थीगण/अपीलांट के खेत खसरा संख्या 254/19 में से होकर कोई रास्ता नहीं चलता है। उसके खेत के लिए

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रास्ता उसके उत्तर दिशा में आये खसरा संख्या 121 व 252/218 में से होकर चलता है जो जवाब के सलंग्न नक्शा परिशिष्ट ''अ'' में बरंग लाल मार्क से दर्शाया गया है। जो मौके पर उपलब्ध है जिसका प्रार्थीगण पिछले 40–50 साल से उपयोग –उपभोग करते आ रहे है। उक्त रास्ता पर पड़ने वाला खसरा संख्या 252/118 सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो सरकारी रास्ते तक मिलाती है। इसलिये वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थीगण/रेस्पों. द्वारा अपीलांट/विप्रार्थीगण के खेत में से रास्ते की मांग अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार की गई जिसमें आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध था, जो प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु मौके पर चालू हालात में है एवं प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग किया जा रहा है। उसका वर्णन मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 251– ए के प्रावधान हस्तगत प्रकरण में लागू भी नहीं होते हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए दूषित मंशा सें अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स व उसके पड़ोसी के मध्य अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध दुरभि संधि कर अपीलांट को नाहक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपीलाधीन आवेदन को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। केवल मात्र प्रार्थीगण की सुविधानुसार अपीलांट के खेत में से रास्ते हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधि अनुसार रास्ता कृषक की सुविधा अनुसार नहीं अपितु अत्यधिक आवश्यकता को मध्य नजर रखते हुए प्रदान किया जाता है। इस आधार पर अपीलांट के खेत में से रास्ते का आदेश करना कानून सार्थक नहीं है। उक्तानुसार समस्त कथनों से परे जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया ज़ो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम जारी सम्मन पर अपीलांट की पर्याप्त तामील करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। जहां तक मौका रिपोर्ट का प्रश्न है उसके संबंध में निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार राजस्व कर्मचारियों से तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसको आधार बना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उसके बाद केवल मात्र रेस्पों. को परेशान करने की नियत से हस्तगत

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील पेश की गई है जिसका कोई औचित्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने-जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जिससे अपीलांट के वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के उज्र का कोई सार नहीं है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251- ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। खसरा संख्या 254/129 मूल रूप से खसरा संख्या 254 का ही हिस्सा है, वक्त बंटवारा इसमें रास्ता रखा जाना चाहिये था। तब भी रास्ता इसी स्थान से दिया जाता। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में बाद सुनवाई पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार आदेशित/प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य विकल्प/रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता सुगम एवं निकटतम है। अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रश्नगत रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन हो गया है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले रास्ते के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा उक्त खसरे तक पहुंचने हेतु कोई निकटतम विकल्प नहीं है। जहां तक अपीलांट का मौका रिपोर्ट से पूर्व सूचना नहीं देने का प्रश्न है तो उस संबंध में स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को जरिये नोटिस सूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई प्रतीत होती है। इसलिए अपीलांट के उक्त उज्र का कोई सार प्रतीत नहीं होता है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपत्ति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया। जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अनेकों निर्णयों में यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है। राजस्थान

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

21/3/25

काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955 के नियम 69 में वर्णित है कि आई.एल.आर. से कम रेंक के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका नहीं देखा जाना चाहिये। इसलिए अपीलांट की उक्त आपत्ति में कोई सार नहीं है। यदि किसी खसरें में से पूर्व में रास्ता दिया गया है तो दूसरी बार रास्ता देने हेतु भी कोई विधि बाधित नहीं करनी है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से दिया गया है रास्ता विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी, सिवाना द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 83/2023 बउनवान सांवलराम बनाम अणसीदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.11.2024 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

28/10/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/10/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर